



## पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय-विद्युत नगर, भिखारीपुर, पोस्ट-डी.एल.डब्ल्यू, वाराणसी, उ०प्र० (भारत)-221004  
वेबसाईट:-www.puvvnl.nic.in, ई-मेल:- mdpurvanchalvvn@gmail.com

CIN-U31200UP2003SGC027461

फोन नम्बर-0542-2300176, फैक्स नम्बर-0542-2319152

|  |   |
|--|---|
| कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता<br>विद्युत वितरण मण्डल, गाजीपुर<br>E-mail ID: se.ghazipur@puvvn.in | Office of the Superintending Engineer<br>Electricity Distribution Circle, Ghazipur<br>E-mail ID: se.ghazipur@puvvn.in |
|--|---|

पत्रांक- 1644 / वि०वि०म०(गा०) /

दिनांक : 04/05/2026

विषय- प्रकाशनार्थ विज्ञापन सामग्री।

सेवा में,

विज्ञापन प्रकाशक-

- 1- अमर उजाला, वाराणसी।
- 2- तरुणमित्र, वाराणसी।

महोदय,

1. कृपया संलग्न विज्ञापन सामग्री अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में शीघ्रतम प्रकाशित होने वाले अंक में "कम से कम स्थान" (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 10, 12 एवं 14) में केवल दो कालम में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाईन में रनिंग मैटर में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।
2. कृपया संलग्न सामग्री का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था करें।
3. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति, प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में, अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत नगर, पोस्ट-डी०एल०डब्ल्यू० वाराणसी को करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर बीजक का सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
4. संलग्न हिन्दी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी के समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। अनुवाद के लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
5. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाय अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन नहीं किया जायेगा।
6. यदि आपको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृष्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञान दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
7. विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में 'राष्ट्रहित में बिजली बचायें, बिजली चोरी कैसे भी रोकें' तथा उक्त आदेश संख्या एवं दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
8. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन के नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक-

- (1) विज्ञापन आदेश प्रथम/द्वितीय प्रति।
- (2) विज्ञापन सामग्री 1 नग दो प्रति में।

आज्ञा से

अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक- / वि०वि०म०(गा०) / दिनांक- 2026

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, पत्रालय-डी०रे०का०, वाराणसी।
2. कार्मिक अधिकारी, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण) वाराणसी क्षेत्र-द्वितीय, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता

Width 8 CM (equivalent to 2 columns of newspaper)

| <b>पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०</b><br><b>अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-गाजीपुर</b>   |                            |
|--|----------------------------|
| <b>ई-निविदा सूचना : 08/EDC(G)/2026-27 दिनांक : 04.05.2026</b>  |                            |
| कार्य का नाम: पूर्ण जमा योजना अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-जंगीपुर, गाजीपुर के अधीन गाजीपुर-आजमगढ़ मार्ग (बिरनो थाना से जलालाबाद तक) चौड़ीकरण में बाधक एच०टी० /एल०टी० लाईन के पोल, तार एवं ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने का कार्य। प्रपत्र शुल्क-रु. 3540.00, धरोहर धनराशि -रु. 28,000.00। |                            |
| ई- निविदा प्रपत्र शुल्क : रु० 3540.00  | धरोहर राशि : रु० 28,000.00 |
| ई- निविदा की अंतिम तिथि : 03 जून 2026, 12:00 बजे।  |                            |
| विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट <a href="https://etender.up.nic.in">https://etender.up.nic.in</a> पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएगी।  |                            |

अधीक्षण अभियन्ता